

File 21/12/17  
23/3/17

बिहार सरकार  
पथ निर्माण विभाग

संचिका सं०-09/विविध-(पत्राचार)-04-31/2015 2738(5) पटना, दिनांक-23/3/17  
प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,  
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,  
सभी उपभाग(राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग/ यांत्रिक सहित)।

सभी अधीक्षण अभियंता,

सभी अंचल (राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग सहित)।

सभी कार्यपालक अभियंता,

सभी पथ प्रमंडल/राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल/

यांत्रिक प्रमंडल/राष्ट्रीय उच्च पथ यांत्रिक प्रमंडल।

उप निदेशक,

प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान/परीक्षण एवं शोध संस्थान।

सहायक अभियंता, सम्पर्क पदाधिकारी,

बिहार भवन, नई दिल्ली।

सचिव,

बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम न्यायाधिकरण, बिहार, पटना।

अवर सचिव (लेखा/मुख्यालय)

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय- मुख्य शीर्ष-2245, 3054, 3451 एवं 5054 में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि के विरुद्ध व्यय के पश्चात् बचत राशि का प्रत्यार्पण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य शीर्ष-2245, 3054, 3451 एवं 5054 अन्तर्गत विभिन्न उपशीर्षों में राशि आवंटित किया गया है। वित्तीय वर्ष के अन्त में आवंटित राशि का व्ययोपरांत बचत की राशि का ससमय वित्त विभाग को प्रत्यार्पण किया जाना होता है। बजट प्रावधानित राशि के ससमय प्रत्यार्पण हेतु यह आवश्यक है कि विभिन्न कार्यालयों से ससमय प्रत्यार्पण मुख्यालय को प्राप्त हो जाय।

अतः निदेश दिया जाता है कि दिनांक-29.03.2017 तक इस कार्य हेतु अपने कार्यालय से किसी पदाधिकारी/ कर्मचारी को मुख्यालय स्थित बजट शाखा में प्रतिनियुक्त करे ताकि बजट शाखा से समन्वय स्थापित कर कार्यालय द्वारा प्रत्यार्पित राशि की ससमय प्रविष्टि संभव हो सके। किसी भी प्रत्यार्पित राशि की स्वीकृति नहीं होने पर सारी जवाबदेही सम्बन्धित कार्यालय प्रधान पर होगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुकूल विभागीय कार्रवाई की जायेगी।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

पथ निर्माण विभाग  
कम्प्यूटरीकृत निर्गत  
पंजीयन संख्या.....  
.....  
.....

4.9.2016  
20.3.17

विश्वासभाजन

21.3.17  
(अमृत लाल मीणा)  
20/3/17